



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 30 जून, 2021

आषाढ 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 1362/पाँच-5-2021

लखनऊ, 30 जून, 2021

उद्घोषणा

प0आ0-149

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2020) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी करती हैं कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य, कोविड-19 से प्रभावित है।

2-यह उद्घोषणा दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक या कोई अग्रतर आदेश जारी किये जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रवृत्त रहेगी।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1362/V-5-2021, dated June 30, 2021 :

No. 1362/V-5-2021

Dated Lucknow, June 30, 2021

PROCLAMATION

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Diseases Control Act, 2020 (U.P. Act no. 17 of 2020), the Governor is pleased to issue a proclamation declaring that the whole of the State of Uttar Pradesh is effected by Covid-19.

2. This proclamation shall continue to be in force till 30th September, 2021 or till issuance of any further order, whichever is prior.

By order,
AMIT MOHAN PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 102 राजपत्र-(192)-2021-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० चिकित्सा-2021-(193)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।